

2018/00348

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

महोदय जी

निवेदन है कि ग्राम ~~आमली~~ <sup>2071-2074</sup> की जमाबंदी संवत ..... के खाता संख्या 214 में प्रार्थी का नाम सैरु जाति ब्राह्मण दर्ज है | जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम सैरु जाति ब्राह्मण दर्ज है | अतः उक्त खाते में प्रार्थी का नाम सैरु जाति ब्राह्मण के बजाय नाम सैरुमाल जाती ब्राह्मण दर्ज किया जाना उचित होगा |

*[Signature]*  
उ.र. कोठारी Roney  
8/4/2018

राजस्व लोक अदालत अभियान  
"न्याय आपके द्वार-2018"

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी/पांच I.R.R. संशोधन स्वीकार योग्य है।

*[Signature]*  
तहसीलदार  
फुलिया कला (थीत)

पुं. अ. 374/118

राजस्व लोक अदालत अभियान  
आदेश  
पुं. सगमारी दिनांक 12/6/18  
"न्याय आपके द्वार-2018"

हल्ब रिपोर्ट तहसीलदार फुलिया कला के द्वारा आमली पट्टे की जमाबंदी संवत 2071-74 के खाता सं. 214 में दर्ज सैरु के बजाय सैरुमाल नाम की जाति का अंश दर्ज किया जाना है।  
पालनाथ तहसीलदार फुलिया कला को गैर-जायद



*[Signature]*  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
फुलिया कला निक्टर  
फुलिया कला, जिला-भीलवाड़ा